17.04.25 वकील प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पत्रावली पेशी में ली गई। प्रार्थिया द्वारा प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उनका प्रतिवादी गण के साथ राजीनामा हो चुका है। अत: पुनः वादपत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये नोट प्रेस के आधार पर वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जावे। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पुनः वादपत्र पेश करने का अधिकार सुरक्षित रखते हुये प्रार्थिया का यह वादपत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17-04-25

(किरण पाल)
उपखण्ड अधिकारी
राङसाना

पुकार
पक्षकारान

7
15/5/25